



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11052026-272442  
CG-DL-E-11052026-272442

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2246]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 2246]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

आदेश

नई दिल्ली, 7 मई, 2026

का.आ. 2337(अ).— पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार के पूर्ववर्ती जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3187 (अ), में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: —

- (1) इस आदेश को गंगा नदी (पुनरुद्धार, संरक्षण एवं प्रबंधन) प्राधिकरण (संशोधन) आदेश, 2026 कहा जाएगा।
- (2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

(2.) उक्त अधिसूचना में, अनुसूची के स्तंभ (3) में, मद (च) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां सम्मिलित की जाएंगी, अर्थात्: —

क्रम संख्या	राज्य गंगा समिति का नाम	राज्य गंगा समिति की संरचना
(1)	(2)	(3)
		“(च क) प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज्य सरकार (नाम) सदस्य, पदेन;”.

[फा. सं. एडी-17/1/2026-ईडी (प्रशासन) का कार्यालय, एनएमसीजी]

राशि शर्मा, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

**नोट.—** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का. आ. 3187 (अ) के माध्यम से दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 को प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 3845 के माध्यम से दिनांक 19 अगस्त, 2025 को किया गया था।

#### MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

(NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA)

#### ORDER

New Delhi, the 7th May, 2026

**S.O. 2337(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation number S.O. 3187 (E), dated the 7<sup>th</sup> October, 2016, namely: -

- (1.) (1) This Order may be called the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities (Amendment) Order, 2026.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- (2.) In the said notification, in the SCHEDULE, in column (3), after item (f) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:-

Serial No.	Name of the State Ganga Committee	Composition of the State Ganga Committees
(1)	(2)	(3)
		“(fa) Principal Secretary, Department of Rural Development, Government of State of (Name) Member, ex-officio;”.

[F. No. Ad-17/1/2026-O/o ED(Admin) NMCG]

RASHI SHARMA, Executive Director (Administration)

**Note.** -The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 3187 (E), dated the 7<sup>th</sup> October, 2016 and last amended vide notification number S.O. 3845 dated the 19<sup>th</sup> August, 2025.